न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 56/2017
प्रविष्टि दिनांक 11-5-2017

रामराज पुत्र बद्री गुर्जर निवासी ग्राम-महुआ तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
-अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार उनियारा जिला- टोक
-रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार उनियारा दिनांक 23-2-2017

उपस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 22-9-2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार उनियारा ने अपने निर्णय दिनांक 23-2-2017 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 879/667 रकबा 0.2325 है0 वाके ग्राम महुआ तह0 उनियारा में अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने व फसल जप्त कर नीलाम करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को नायब तहसीलदार उनियारा द्वारा निर्णय से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नही कराई गई है। निर्णय एकतरफा में पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व हल्का पटवारी से जिरह करने का अवसर नहीं दिया ओर पटवारी हल्का द्वारा रंजिशवश गलत रिपोर्ट की है, केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करते हुए बिना तथ्यों की जॉच किये एंव अपीलान्ट को साक्ष्य सफाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है जो [illegible] एंव तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। [illegible] बहस यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी [illegible] हल्का द्वारा दिये जाने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:47:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

और बेदखल किये जाने की धमकी देने पर दिनांक 2–5–2017 को हुई। अपीलान्ट ने 3–5–2017 को नकल प्राप्त कर कानूनी सलाह लेकर अविलम्ब नकल पेश की है। अपील पेश करने में जो देरी हुई है वह न्यायहित में क्षमा किये जाने योग्य है। क्षमा करने हेतु पृथक से धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 879/667 रकबा 0.2325 है0 वाके ग्राम महुआ तह0 उनियारा में अतिक्रमण किया था। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है एंव अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट द्वारा 879/667 रकबा 0.2325 है0 वाके ग्राम महुआ तह0 उनियारा में अतिक्रमण किया है जो हल्का पटवारी की रिपोर्ट से साबित है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार उनियारा का निर्णय दिनांक 23–2–2017 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22–9–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

चिन्मयी

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:47:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner